

कार्यालय प्रभागीय निदेशक, सामाजिक वानिकी प्रभाग, एटा

पत्रांक 657 / 14-1 एटा, दिनांक, सितम्बर 26, 2017

सेवा में,

महाप्रबन्धक सह परियोजना निदेशक,
भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण,
परियोजना कार्यान्वयन इकाई, अलीगढ़।

विषय : राष्ट्रीय राजमार्ग सं०-91 पर जनपद-एटा के कि०मी० 186 से 229 तक मार्ग को चार लेन बनाने हेतु संशोधित प्रस्ताव प्रस्तुत करने व संयुक्त निरीक्षण हेतु उपस्थित होने के सम्बन्ध में।

संदर्भ : इस कार्यालय का पत्रांक 155/14-1 दिनांक 24.07.2017, पत्रांक सी-3/14-1 दिनांक 14.09.2017 एवं पत्रांक सी-5/14-1 दिनांक 21.09.2017

महोदय,

उपरोक्त विषयक प्रस्ताव के सम्बन्ध में बड़े खेद के साथ सूचित करना पड़ रहा है कि आपको संदर्भित पत्रों द्वारा सूचित करने के उपरान्त भी आपके द्वारा आज तक संशोधित प्रस्ताव की हार्ड कॉपी उपलब्ध नहीं करायी गयी है और न ही संयुक्त निरीक्षण के लिए आप या आपके प्रतिनिधि उपस्थित हुए हैं। इस सम्बन्ध में दूरभाष पर भी वार्ता की गयी, आपके द्वारा दिनांक 26.09.2017 को समस्त अभिलेख प्रस्तुत करने हेतु बताया। आज पुनः सम्पर्क करने पर 2-3 दिन में प्रस्तुत करने हेतु अवगत कराया गया है।

अतः उक्त समस्त अभिलेख 2 दिन में उपलब्ध कराने का कष्ट करें। क्योंकि उक्त प्रस्ताव में पहले से ही आपके स्तर से काफी विलम्ब हो चुका है। उक्त प्रस्ताव पर उच्चाधिकारियों द्वारा लगातार अनुश्रवण किये जाने पर अप्रसन्नता व्यक्त की जा रही है।

भवदीय



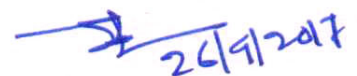
(संजीव कुमार शर्मा)

प्रभागीय निदेशक,
सामाजिक वानिकी प्रभाग, एटा।

पत्रांक 657 / 14-1 दिनांकित

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

1. मुख्य वन संरक्षक/नोडल अधिकारी, उ०प्र०, लखनऊ।
2. वन संरक्षक, अलीगढ़ वृत्त, अलीगढ़।
3. जिलाधिकारी, एटा।



प्रभागीय निदेशक,
सामाजिक वानिकी प्रभाग, एटा।